प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इटावा

आदेश सं0– 111 दिनांक– 22.06.2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–1969/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 21.06.2021 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व आदेशों को अवकमित करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :–

1. (अ)– माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र दिये गये निर्देशानुसार परिवार न्यायालय के समस्त न्यायालयों द्वारा सभी प्रकार के वादों (साक्ष्य के अंकन को छोड़कर) की सुनवायी की जायेगी। अति आवश्यक होने पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही वादों में साक्ष्य अंकित की जा सकती है।

(ब) अति आवश्यक मामलों को वरीयता प्रदान की जाये।

(स) आवश्यक न्यायिक कार्य मात्र वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। किसी प्रकार की तकनीकी बाधा होने के कारण अन्य तरीके उपयोग में लाये जा सकते हैं।

(द) कार्यालय सम्बन्धी अन्य समस्त लम्बित कार्य किये जायेंगे।

(य) अन्य समस्त प्रशासकीय कार्य किये जायेंगे।

2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं कर्मचारीगण न्यायालयीय कार्य पूर्ण होने के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ देंगे।

3. न्यायालय परिसर खुलने से पूर्व समस्त न्यायलय परिसर का मेडिकल गाइडलाइन्स का पूर्णतया पालन करते हुये जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से सैनिटाइजेशन व साफ–सफाई की व्यवस्था व न्यायालय परिसर में आने वाले सभी व्यक्तियों का प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग चैकअप सुनिश्चित कराया जाये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, न्यायालय परिसर को प्रतिदिन के आधार पर सैनिटाइजेशन एवं उक्त कार्य कराना सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी नजारत जजी इटावा पत्र में उल्लिखित प्रस्तर–3, 4 व 5 का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें व इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया जाये।

4. न्यायिक अधिकारीगण/विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मांग करने पर उक्त उद्देश्य हेतु वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था भी अमल में लायी जा सकती है।

5. नवीन प्रार्थना पत्र (सिविल व दाण्डिक) व अन्य प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र पर प्राप्त कराये जायेंगे तत्पश्चात ये सभी प्रार्थना पत्र सी0आइ0एस0 पर दर्ज किये जायेंगे। समस्त प्रार्थना पत्रों पर वादकारीगण व वादकारियों के मोबाइल नम्बर अंकित हों, ताकि प्रार्थना पत्रों में कोई कमी होने पर उन्हें सूचित किया जा सके। उसके पश्चात यह प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालयों को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायें।

6- वादकारीगण अपनी लिखित बहस/तर्क (Written Arguments) केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा उसे सम्बन्धित न्यायालय में भेजा जायेगा।

7- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इटावा की समर्पित ई–मेल आई0डी0 है, उसी पर आवश्यक प्रार्थना पत्र लिखित बहस सहित प्राप्त किये जायेंगे। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु यह प्रकिया वैकल्पिक रूप से अमल में लायी जायेगी।

8- परिवार न्यायालय कक्षों में वाद मित्रगण हेतु समुचित दूरी पर मात्र चार कुर्सियां ही रखी जाये। न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्षों में सामाजिक दूरी (social distancing) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

9. न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्षों में उपस्थित सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक न्यायालय कक्ष के बाहर सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। प्रस्तुतकार व लिपिकगण आदि सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।

10- केवल वही वाद मित्रगण, जिनके वाद उस दिनांक पर नियत हैं न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात वे न्यायालय परिसर छोड़ देंगे।

11. वादकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा। जिन वादों में प्रधान न्यायाधीश की अनुमति से साक्ष्य अंकित की जानी है उनमें वादकारीगण/सम्बन्धित व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

12. परिवार न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।

13- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्प्यूटर अनुभाग एवं स्टेटमेन्ट क्लर्क पूर्व की भांति Daily Consolidated Report प्रतिदिन माननीय उच्च न्यायालय ई–सर्विस माड्यूल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश दिनांक 23.06.2021 से प्रभावी होगा।

आदेश की प्रतिलिपि **जिलाधिकारी इटावा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इटावा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

आदेश की प्रति **जिला सूचना अधिकारी इटावा** को जनहित में निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाये।

आदेश की प्रति **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा** को माननीय उच्च न्यायालय के सन्दर्भित पत्र के पैरा–17 में वर्णित दिशा–निर्देश के अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। वह इटावा जनपद में सकिय कोविड केसेस की संख्या 500 अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में अविलम्ब सूचित करेंगे, ताकि न्यायालय संचालन सम्बन्धी पूर्ववर्ती दिशा–निर्देश पुनः स्थापित किये जा सके।

आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (नजारत) को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह केन्द्रीय नाजिर को आदेशित करें कि वह माननीय उच्च न्यायालय के सन्दर्भित पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशों का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें।

आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति सिस्टम आफ़ीसर को जिला न्यायालय की सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित हो।

तदनुसार सभी सम्बन्धितगण सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु सूचित हों।

(विष्णु कुमार शर्मा)
प्रधान न्यायाधीश, 22/6/2021
परिवार न्यायालय,
इटावा।